सोनभद्र पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 05.07.2026

- **साइबर ठगों की साजिश पर सोनभद्र पुलिस का करारा प्रहार, ₹1.69 लाख से अधिक की धनराशि पीड़ित को कराई वापस**
- **फेसबुक पर बैंक के नाम से प्रसारित फर्जी लिंक के झांसे में आया पीड़ित, साइबर टीम की तत्परता से मिली बड़ी राहत**

प्रकरण का विवरण- अवगत कराना है कि वादी **श्री दिलीप कुमार जायसवाल**, पुत्र स्व. वृज मोहन लाल जायसवाल, निवासी ओबरा मार्केट, थाना ओबरा, जनपद सोनभद्र द्वारा **नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP)** पर शिकायत दर्ज कराई गई कि उनके फेसबुक अकाउंट पर **पंजाब नेशनल बैंक के नाम से बैलेंस चेक करने संबंधी एक फर्जी विज्ञापन एवं लिंक प्रदर्शित** हुआ। चूंकि उनका बैंक खाता पंजाब नेशनल बैंक में था, इसलिए उन्होंने उक्त लिंक को बैंक की आधिकारिक सेवा समझकर खोल लिया तथा **अपनी बैंकिंग एवं व्यक्तिगत जानकारी साझा कर दी।** साइबर अपराधियों ने प्राप्त जानकारी का दुरुपयोग करते हुए इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से उनके **खाते से कुल ₹1,70,000/- की अवैध निकासी कर साइबर धोखाधड़ी** को अंजाम दिया।

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र **श्री अभिषेक वर्मा** के निर्देशन में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन)/नोडल साइबर क्राइम **श्री ऋषभ रुणवाल** के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी पिपरी/सहायक नोडल साइबर क्राइम **श्री हर्ष पाण्डेय** के पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक **थाना ओबरा श्री सदानन्द राय** के कुशल नेतृत्व में **थाना ओबरा पुलिस एवं साइबर टीम द्वारा** तत्काल कार्रवाई प्रारंभ की गई। साइबर टीम द्वारा तकनीकी विश्लेषण करते हुए संबंधित बैंक/संस्था से त्वरित ई-मेल पत्राचार एवं समन्वय स्थापित किया गया। समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई के परिणामस्वरूप फ्रॉड की गई **कुल धनराशि ₹1,70,000/- में से ₹1,69,482.48 को सफलतापूर्वक होल्ड/फ्रीज** कराया गया तथा नियमानुसार पीड़ित के मूल बैंक खाते में वापस करा दिया गया।

समय पर 1930 साइबर हेल्पलाइन एवं एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने तथा साइबर टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई किए जाने के कारण पीड़ित की अधिकांश धनराशि सुरक्षित कर वापस कराई जा सकी।

साइबर टीम का विवरण

1. श्री सदानन्द राय – प्रभारी निरीक्षक, थाना ओबरा, जनपद सोनभद्र।
2. का0 पंकज कुमार – साइबर हेल्प डेस्क, थाना ओबरा, जनपद सोनभद्र।

आमजन से अपील

सोनभद्र पुलिस आमजन से अपील करती है कि सोशल मीडिया पर बैंक, केवाईसी अपडेट, बैलेंस चेक, रिवॉर्ड पॉइंट, लोन अथवा निवेश संबंधी किसी भी लिंक पर बिना सत्यापन के क्लिक न करें। बैंक कभी भी फोन, एसएमएस, ई-मेल अथवा सोशल मीडिया के माध्यम से ओटीपी, यूपीआई पिन, पासवर्ड, सीवीवी या अन्य गोपनीय बैंकिंग जानकारी साझा करने के लिए नहीं कहते।

यदि किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी का शिकार हों, तो तत्काल 1930 साइबर हेल्पलाइन अथवा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर शिकायत दर्ज करें। समय पर शिकायत दर्ज होने से धनराशि सुरक्षित होने एवं वापस मिलने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है।